कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 1643 सूरजपुर, दिनांक 26/5/2017

प्रति

कार्यपालन अभियंता

अति उच्च दाब निर्माण संभाग,

छ.रा.वि.पारे.क.मर्या, कोरबा

विषय:– सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर – प्रतापपुर लाईन के लो. नम्बर 31/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र वाड्रफनगर,लाईन मे प्रभावित 19.907 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन बावत् ।

– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/TRANS/17263/2015

संदर्भ:– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्र /F No. FC- II/CH-53/2016-NGP/1702 दिनांक 03.05.17

---00---

विषयान्तर्गत सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर– प्रतापपुर लाईन के लो नम्बर 31/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र वाड्रफनगर,लाईन मे प्रभावित आरक्षित वन 4.097 हे. सरक्षित वन 7 450 हे.,एवं राजस्व वनभूमि 8.360 हे. कुल प्रभावित वनभूमि 19.907 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के पत्र क्रमांक/ F.No. FC- II/CH-53/2016-NGP/1702 दिनांक 03.05.17 के द्वारा जारी की गयी है ।

मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/खनिज/224/358 दिनांक 11.03.2013 के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की गणना प्रतिवेदन सूरजपुर वनमण्डल में प्रभावित वन भूमि 19.907 हे0 हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2535 दिनांक 26.11.2016 के द्वारा तैयार कर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर को प्रस्तुत किया गया। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./5045 दिनांक 05.12.2016 के द्वारा प्रकरण अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक का अनुमोदन किया गया है ।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय,नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक–iv के परिपालन में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र 19.907 हे. हेतु प्रत्याशा मूल्य की राशि रू0 1,41,22,927=00 (एक करोड़ इकतालीस लाख बाईस हजार नौ सौ सत्ताईस रूपये) जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक– ii के परिपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनपरिक्षेत्र सूरजपुर अन्तर्गत वनखण्ड थेनडीह, परिसर केवटाली कक्ष क्रमांक–पी 1628 में बिगड़े वन भूमि 40.000 हे. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित बिगड़े वनभूमि 40.000 हे0 हेतु 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2017–18) हेतु 600222/हेक्टेयर की दर से कुल आवश्यक राशि रू. 24008880.00 (दो करोड़ चालीस लाख आठ हजार आठ सौ अस्सी रूपये) मात्र है।

प्रथम चरण की अधिरोपित शर्त क्रमांक– (19)d के परिपालन में औषधीय पौधों के रोपण (वनक्षेत्र में कुल लम्बाई–7373 मी. एवं चौडाई – 8.00 मी. = 5.898 हे. हेतु वर्ष 2017–18 के लिए (सिंचित) रोपण 600222/हेक्टेयर की दर से कुल आवश्यक राशि रू. 3540109.00 (पैतीस लाख चालीस हजार एक सौ नौ रूपये) मात्र है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य, वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2017–18) एवं औषधीय पौधों की रोपण (वर्ष 2017–18) के निर्धारित दर से आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	गणना पत्रक अनुसार प्रत्याशा मूल्य की अनुमोदित राशि	14122927.00
2	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 19.907 हे. के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण (सिंचित) की राशि	24008880.00
3	औषधीय वृक्षारोपण 5.898 हे. हेतु राशि	3540109.00
	योग :–	41671916.00

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्ताव से सम्बधित समस्त भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में जमा करने हेतु ई–चालान के माध्यम से भारत सरकार की वेब साईट http://forestclearence.nic.in द्वारा किया जाना है। ई–चालान की विस्तृत जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साईट की होम पेज में सपोर्ट टैब में क्लिक कर ई–चालान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 19.907 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य, वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं औषधीय पौधों की रोपण हेतु कुल राशि **41671916.00 (चार करोड़ सोलह लाख ईकहत्तर हजार नौ सौ सोलह रूपये)** मात्र का भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में ई–चालान के माध्यम से जमा कर ई–चालान की कॉपी तत्काल प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1644 सूरजपुर दिनांक 26/5/2017

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) **E-mail Id** -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 1645 सूरजपुर, दिनांक 26/5/2017

प्रति

कार्यपालन अभियंता
अति उच्च दाब निर्माण संभाग,
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या, कोरबा

विषयः– **सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर – प्रतापपुर लाईन के लो. नम्बर 31/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र वाड्रफनगर,लाईन में प्रभावित 19.907 हे. वनभूमि पर खड़े वृक्षों की विदोहन एवं परिवहन हेतु आवश्यक राशि प्रस्तुत किये जाने बावत्।**

– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/TRANS/17263/2015

संदर्भः– **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू– प्रबंध) छ.ग. रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विद्युत/479–153/1648 दिनांक 22.05.2017**

---00---

विषयान्तर्गत सूरजपुर वनमण्डल अंतर्गत लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर–प्रतापपुर लाईन के लो. नम्बर 31/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र वाड्रफनगर,लाईन में प्रभावित आरक्षित वन 4.097 हें.,सरक्षित वन 7.450 हें.,एवं राजस्व वनभूमि 8.360 हें. कुल प्रभावित वनभूमि 19.907 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण की स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के पत्र क्रमांक/FC- II/CH-53/2016-NGP/1702 दिनांक 03.05.17 के द्वारा जारी की गयी है।

उक्त परियोजना में सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल अन्तर्गत प्रभावित वनभूमि पर खड़े कुल 907 वृक्षों के विदोहन एवं काष्ठागार डिपो अम्बिकापुर तक परिवहन के लिये परिक्षेत्राधिकारी प्रतापपुर के द्वारा निम्न विवरण अनुसार विदोहन योजना तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

वनमण्डल का नाम	वनपरिक्षेत्र का नाम	परियोजना में प्रभावित वनभूमि			प्रभावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों की संख्या	विदोहन एवं परिवहन पर अनुमानित व्यय की राशि	परिक्षेत्राधिकारी का पत्र क्रमांक/दिनांक
		वनभूमि रकबा (हे.में)	राजस्व वनभूमि रकबा (हे.में)	कुल वनभूमि रकबा (हे.में)			
सूरजपुर	प्रतापपुर	11.547	8.360	19.907	907 नग	2100000.00	741 दिनांक 09.05.2017

अतः उपरोक्तानुसार सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर के लिए वृक्ष विदोहन एवं परिवहन की अनुमानित राशि 2100000.00 (इक्कीस लाख रूपये) मात्र का वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट या धनादेश तैयार कर वनमण्डल में तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में प्रभावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों के विदोहन हेतु विदोहन योजना वरिष्ठ को प्रस्तुत किया जाकर आवश्यक अनुमति प्राप्ति किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 1646 सूरजपुर, दिनांक 26/5/2017

प्रतिलिपि –1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर